

विचार बिन्दु

आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। –भगवत गीता

पर्व ईद-उल-अज़हा को मनाने के लिये जानवरों (बकरे) की कुर्बानी देने के स्थान पर हम सब एक राय से उसके विकल्प पर क्यों न विचार करें?

हमारे देश का संविधान देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्र प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिये तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिये दृढ़ संकल्प होने का आह्वान करता है।

संविधान ने हमें मूल अधिकार दिये और संविधान के अनुच्छेद 51 क में घोषणा की कि इस देश के प्रत्येक नागरिक के कुछ मूल कर्तव्य होंगे जो संक्षेप में इस प्रकार है:-

“वह संविधान की पालना करे, भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे, वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति करूणा भाव रखे, हिंसा से दूर रहे”।

संविधान के अनुच्छेद 48 क में राज्य को निर्देश दिया है कि वह वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 क की व्याख्या करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य; एआईआर 2012 एस.सी 1254 के निर्णय में स्पष्ट किया कि जीने के अधिकार में अच्छे स्वास्थ्य एवं बेहतर जीवन यापन के लिये स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी सम्मिलित है।

भारत में हिन्दू धर्म के मंदिरों में पशुबलि दी जाती थी। टोंक में ऊँटों की बलि होती थी और देवी मां के मंदिरों में भैंसों की बलि दी जाती थी।

क्योंकि संसार की बड़ी आबादी मांसाहारी है, अतः पशुशालाओं को कुछ पशुओं को कत्ल करने की अनुमति दी गई है; किन्तु Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के तहत कई प्रतिबंध निर्धारित किये हैं और अपेक्षा की है कि पशुओं को कष्ट नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मांस के लिये किये जाते वाले पशुओं में भी आत्मा का वास होने की बात करते हैं। हम नरियों को इसी मां के रूप में देखते हैं और उनमें भी मानवीय स्पन्दन जैसी अनुभूति होती है मानते हैं। इस विचारधारा को कुछ उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णय में सही माना है।

संविधान प्राणी मात्र के प्रति करूणा का भाव और हिंसा से दूर रहने का निर्देशन देता है, किन्तु ईश्वर की कृपा हेतु पशुबलि/कुर्बानी को ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के औचित्य को स्वीकार नहीं करता; इसके विपरीत अनुच्छेद 51 क(ज) में नागरिकों का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानांजन तथा सुधार की भावना का विकास करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत झील, वन, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करेंगे और सम्वर्धन करेंगे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखेंगे। प्राणी में सभी प्रकार के जानवर अर्थात् बकरे आदि भी आते हैं।

कम्बोडिया के लोपोपचाड़ों में भी आत्मा का वास होने की बात करते हैं। हम नरियों को इसी मां के रूप में देखते हैं और उनमें भी मानवीय स्पन्दन जैसी अनुभूति होती है मानते हैं। इस विचारधारा को कुछ उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णय में सही माना है।

देश के 29 राज्यों में से 20 राज्यों में गायाँ तथा दुधारू जानवरों व बोझ ढोने वाले पशुओं के वध को अमान्य माना है और सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 48 व 48 क के आधार पर इन प्रावधानों को प्रवर्तनीय माना है। गो सेवा संघ के केस में यहाँ तक कह दिया है कि पशु वध के निषेध पर इस बात का कोई असर नहीं होगा कि वे पशु कालान्तर में बोझा ढोने व दूध देने के योग्य नहीं रहे। देश के The Wild Life (Protection) Act, 1972 ने जंगली जानवरों को अभयदान दिया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा मय जीवन जीने का अधिकार देता है और जीने का अधिकार आधारभूत व्यक्ति का Human Right (मानव अधिकार) है। अनुच्छेद 21 में शब्द स्पष्ट की व्याख्या करते हुये इसके विस्तृत रूप में Animal Life (पशु जीवन) को भी शामिल किया गया है। मूल कर्तव्यों में भी प्राणी मात्र के प्रति करूणा भाव रखने का उल्लेख है। इसी बात को इशोपनिषद में सभी Species के प्रति समान भाव रखने पर जोर दिया है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (PCA Act) का उद्देश्य भी पशुओं के प्रति करूणा भाव और उनके जीवन की सुक्षा पर जोर दिया है। कुरान में अल्लाह को Most Gracious, Most Merciful विशेषण से सम्बोधन दिया है।

यदि हम Universal Declaration of Animal Welfare (DWAU) जो एक अभियान है पर विचार करें तो पायेंगे कि World Society for the Protection of Animals Welfare इसका समर्थन करते हैं, भारत भी एक सहयोग देश है। World Health Organisation of Animal Health (OIE) जिसका भारत सदस्य है, वह WTO का एक अधिन अंग है, जिसके 178 सदस्य देश हैं जिनमें भारत एक देश है। यह प्रक्रिया इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय संघि का दर्जा देते हैं, जिसका निर्देशन सरस्वती के लिये बाधकारी है। OIE ने 5 अन्तर्राष्ट्रीय निर्देशन जानवरों की स्वतंत्रता व पीड़ा विहीन जीवन के लिये स्वीकार किये है। ये निर्देशन PCA Act की धारा 3 से 11 में मिलते हैं

ये उसी प्रकार की जानवरों के अधिकार हैं, जो मानव अधिकार के रूप में संविधान के चेप्टर-III में है। पशुओं के इन अधिकारों को सीढ़ाईपूर्ण बना दिया। हमने यह भी देखा कि जुनागढ़ का भारत विलय कठिन परिस्थितियों में हुआ जहाँ वहाँ के नवाब में पाकिस्तान विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे किंतु जनता में उसे जनमत संग्रह के आधार पर अस्वीकार कर दिया।

कश्मीर की स्थिति पर भी विचार किया गया था। कश्मीर के राजा हरि सिंह अनिश्चय की स्थित में थे। वस्तुतः वे अपने राज्य को न भारत और न पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे। कश्मीर की अधिसंख्य जनसंख्या मुस्लिम धर्मावलंबी थी और राजा हिन्दू धर्म मानने वाला था। कश्मीर की सीमा आजाद भारत से और पाकिस्तान से मिलती थी। कश्मीर का वह भाग जिसे अब हम पाक ओक्युपाइड कश्मीर कहते हैं वहाँ की अधिसंख्य जनसंख्या मुस्लिम मोटे तौर पर इस्लाम को मानने वाले कबाइली (द्रुइडल) लोगों की थी। पाकिस्तान को, द्वि राष्ट्र सिद्धांत—-टू नेशन थ्योरी—- के अनुसार कश्मीर का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं था किंतु वह सीधे-सीधे कश्मीर की स्वतंत्रता पर आक्रमण कर्ता भी नहीं दिखना चाहता था। इसलिए पाकिस्तान में कबाइलियों को हथियारबंद किया, प्रशिक्षित किया और

PCA Act की धारा 28 धार्मिक प्रथाओं के लिये अपवाद है अतः सुप्रीम कोर्ट ने पशुबलि (कुर्बानी) को एक सीमा तक धार्मिक प्रथा मानकर PCA Act में अपवाद मानते हुये Closed एवं प्राइवेट क्षेत्र में स्वीकृति पशुबलि की दी है; किन्तु इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि क्या ईद-उल-अज़हा पर्व पर कुर्बानी देना मुस्लिम धर्म की एक Essential Religious प्रैक्टिस है तथा क्या उक्त प्रथा को निषेध किये जाने से संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 का Violation तो नहीं होगा, क्योंकि हमें उक्त अनुच्छेदों को संविधान के अनुच्छेद 21, 48, 48क, 51 क के संदर्भ में देkhना होगा। हमें PCA एक्ट की धारा 11 व 28 की परीक्षा उक्त अनुच्छेदों की पृष्ठभूमि में करनी होगी। साथ ही हमें यह भी धारना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय संघि की पालना करना देश का कर्तव्य है। धारा 28 का उद्देश्य है कि पशु की बलि (कुर्बानी) करना अपराध नहीं है, यदि पशुबलि धर्म सम्मत हो यानी AIR 195 SC 282 के निर्णय के अनुसार बकरे की बलि धर्म का अभिन्न अंग हो और उसका सम्बन्ध Doctrine of Religion से हो। बकरे को मारना इस प्रकार Essential Religious प्रैक्टिस नहीं है। इन बिन्दुओं पर सुप्रीम कोर्ट में सम्भवतः कभी बहस ही नहीं हुई। अतः PCA Act की धारा अवैध और Ultra vires है।

ईद-उल-अज़हा पर्व के रूप में उस घटना की याद में मनाया जाता है जब हज़रत अब्राहिम ने Sacrifice किया था। चूँकि अब्राहिम ने अल्लाह की Command की पालना की थी अब्राहिम ने अल्लाह की आज्ञा में अपने पुत्र की कुर्बानी स्वीकार दी थी। अल्लाह ने हस्तक्षेप किया और अपने Angel जिब्राल से अब्राहिम को सूचना भेजी कि उसका बलिदान पहले ही स्वीकार हो चुका है अतः उसे Reward दिया गया। कुरान (37:100:111) में अल्लाह ने Ordain किया है, "Those who do good shall be rewarded", बकरे की कुर्बानी करना अच्छा काम नहीं कहा जा सकता। ईद-उल-अज़हा तो बकरे की कुर्बानी देकर मनाया जाता है, जबकि अब्राहिम ने अल्लाह की Comman को माना था उस पर अमल नहीं हुआ था। बकरे का गोशत (पकाकर) परिवारजन, पड़ोसी व दोस्त को उल्लास के साथ परोसा जाता है।

इस विषय को समझने के लिये हमें संविधान The Prevention of Cruelty Act, 1960; Wild Life (Protection) Act, 1972; States द्वारा बनाये गये The Prohibition of Bird and Animal Sacrifice Act, Local Municipal Acts, Local Panchayat Acts, International Covenants, संविधान की ग्यारहवीं व बारहवीं अनुसूची। हिन्दुओं ने समय की पुकार को स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस के प्रवचनों द्वारा पशुबलि के निषेध के महत्व को समझा। यह क्रूर प्रथा कई राज्यों में कानून द्वारा निषेध हो चुकी है।

ईदगाह में यशस्वी शहर काजी खालिद उस्मानी जी नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों की मौजूदगी में गत शनिवार को पर्व पर सबको बधाई दी है। उन्होंने लोगों को नसीयत दी कि पर्व के समय दूसरे मजहब के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखें और कुर्बानी के लिये गंदगी न हो इस पर ध्यान दीं। खालों की उचित व्यवस्था करें। इस पर्व पर घर आने वाले दूसरे धर्म के मेहमानों को मिठाई, मिल्क सेक, सेवई की व्यवस्था की जाती है।

देश के चीफ काजी जब इस प्रकार का संदेश दे रहे हैं तो निःसन्देह मुझे उम्मीद है कि हम सब ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तियों से मिलकर प्रयास करें तो कुर्बानी का कोई विकल्प निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ भैंसों की बलि बंद हुई है वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। मंदिरों में कुकुरम्बर काटा जाता है कहीं नारियल फौडे जाते हैं, आदि जिन्हें समाज के सभी लोगों को व पिछडे, गरीबों आदि में वितरित किया जाता है। त्यागना है तो अपनी बुराईयों को छोड़ें। आइये मिलजुल भाईचारे के वातावरण में जानवरों (बकरे-भेड़ों) की कुर्बानी का शाकाहारी विकल्प तलाश करें।

विश्व के दो व्यक्तियों ने बीड़ा उठाया है कि शाकाहारी बनें और विश्व को बचाओ। एक है जॉन रोबिन्स की बहुचर्चित पुस्तक **The Food Revolution: How Your Diet Can Help Save Your Life and Our World ** और दूसरी है दी सुप्रीम मास्टर चिंगहाई की पुस्तक **From Crisis to Peace: The Organic Vegan Way Is The Answer** दोनों ने अकाट्य प्रमाणों से प्रमाणित किया है कि शाकाहारी बनकर धरती को विनाश होने से बचाया जा सकता है।

सबको सम्मति दे भगवान !

–अतिथि सम्पादक,

पानाचन्द्र जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



अंजलिका पंवार

रेतीले राजस्थान की तपती ज़मीन पानी की हर बुँद का महत्व समझती है। यही कारण है कि हर राजस्थानी पानी बचाने को सबसे ज्यादा महत्व देता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 5 जून से 20 जून तक चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान राजस्थान में जल संरक्षण की इसी अलख को जगा रहा है। दरअसल राजस्थान में यह पंक्तियाँ हर किसी की जुबान पर रहती हैं—

“जळ थोडो नेह घणो”

राजस्थान की शुष्क धरा पर गिरती पानी की एक-एक बुँद सभी

प्रदेशवासियों के जीवन में वही स्थान रखती है, जितना कि हरे-भरे वृक्षों की हर डाली पर जीवन की साँसें। जल संरक्षण की प्राचीन परंपराएं वर्तमान परिस्थितियों में भी कारगर हैं। भजनलाल सरकार इन्हें संरक्षित और पोषित करने का प्रयास कर रही है। जल संरक्षण की इन्हीं परम्परागत तकनीकों से राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु में जल संरक्षण सहज बन रहा है। जानते हैं इन पारंपरिक तकनीकों के बारे में—

जोहड़ :- जोहड़ मिट्टी के छोटे बांध होते हैं जो वर्षा के पानी को संचित करते हैं और उसे जमीन में रिसने देते हैं, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है। जोहड़ कुओं के जल स्तर को बनाए रखते हैं जिससे पीने और खेती के लिए बड़ी मदद मिलती है। इनके निर्माण में सामुदायिक सहयोग शामिल होता है जिससे स्थानीय निवासियों को जल आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

बावड़ी :- बावड़ी गहरे, बहु-मंजिला कुएँ होते हैं जिनमें पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में बावड़ियों न केवल पीने के पानी और सिंचाई के

लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि ये सामाजिक मिलन स्थल के रूप में भी कार्य करती हैं। इनके निर्माण में कला और स्थापत्य का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जैसे कि दौसा की आभानेरी, जोधपुर की तोरी और जैसलमेर की पटवा बावड़ी स्थापत्य कला की बेजोड़ प्रस्तुति है। आज के दौर में प्राचीन समय में निर्मित बावड़ियाँ पर्यटन का भी एक अच्छा स्रोत साबित हो रही हैं। इसको इस तथ्य से समझा जा सकता है कि आभानेरी बावड़ी दौसा जिले का सबसे महत्वपूर्ण ट्यूरिस्ट स्पॉट है।

टांका :- टांका भूमिगत टैंक या जलशय्य होते हैं जो छत और औपान से वर्षा जल को एकत्रित और संचित करता हैं। अमूमन टांके घरों और स्कूलों में बनाए जाते हैं ताकि पीने के पानी का स्थायी स्रोत मिल सके। टांका का निर्माण अपेक्षाकृत सरल होता है और यह जल संरक्षण का एक प्रभावी तरीका है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। टांका के माध्यम से वर्षा जल का संग्रहण और उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट का समाधान करने में मदद करता है। राजस्थान के लगभग सभी

राजकीय विद्यालयों में टांके देखने को मिल जाते हैं।

खडीन :- खडीन एक पारंपरिक रन ऑफ़ खेती प्रणाली है, जिसमें खेत के निचले किनारे पर एक लंबा मिट्टी का बांध बनाया जाता है ताकि वर्षा के समय बहने वाले पानी को एकत्रित किया जा सके। जैसलमेर क्षेत्र में खडीन प्रणाली काफी प्रचलित है और यह कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एकत्रित पानी का उपयोग फसलों की सिंचाई और भूजल पुनर्भरण के लिए किया जाता है।

नाड़ी :- नाड़ी छोटे से मध्यम आकार के तालाब होते हैं जो वर्षा जल को घरेलू और पशु धन के उपयोग के लिए संचित करते हैं। सरकार की अगुई पहल से नाड़ी निर्माण हेतु मनरेगा फंड को कर्नल किया जा रहा है जिससे अब बजट की समस्या नहीं रही है। नाड़ी सुखे या अनुमान से कम बरसत के समय में बहुत उपयोगी होती हैं और अक्सर सामुदायिक रूप से प्रबंधित की जाती हैं।

कुंड :- कुंड भूमिगत संरचनाएँ होती हैं जिनके चारों ओर एक कटोरी के आकार का कैचमेंट एरिया होता है जो वर्षा जल को संचित करता है। थार

मरुस्थल में कुंड आमतौर पर घरेलू पेयजल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं।

राजस्थान के निवासियों की प्रतिभा और अनुकूलता का प्रमाण इन पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों में झलकता है। आज के आधुनिक युग में भी यही प्राचीन तकनीकें जल संरक्षण के इरादों को मजबूती प्रदान करती हैं। ये तकनीकें सीमित जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करती हैं और भारत के सबसे शुष्क राज्य में जीवन निर्वाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामुदायिक सहयोग और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके हम जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान समाज की इसी ज्ञान विरासत को सरकार के सहयोग से नए आयाम देकर राज्य के प्रत्येक गांव, ढाणी को जल आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का प्रयास है।

लेखिका—

सुश्री अंजलिका पंवार, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, शोध एवं संदर्भ शाखा, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।

आओ जरा कश्मीर समस्या को समझने का प्रयास करें - भाग-2



महावीर सिंह

इस लेख के पूर्व भाग में हमने इंडिपेंडेंस ऑफ़ इंडिया एक्ट और उसके तहत धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के बारे में संक्षेप में जाना। अधिसंख्य देशी रियासतों में भारत अथवा पाकिस्तान में विलय के विकल्प को चुना। उसके कुछ तो भौगोलिक कारण थे और ज्यादा महत्व पूर्ण देशी रियासतों के राजाओं की यह समझ थी कि बल्लो हूई परिस्थितियों में उनका स्वतंत्र अस्तित्व पूर्णतः अव्यवहारिक व असंभव है। भारत की अंतिम सरकार ने देशी राजाओं को अनेक प्रकार की सुविधाएँ देकर उनके विलय को सीढ़ाईपूर्ण बना दिया। हमने यह भी देखा कि जुनागढ़ का भारत विलय कठिन परिस्थितियों में हुआ जहाँ वहाँ के नवाब में पाकिस्तान विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे किंतु जनता में उसे जनमत संग्रह के आधार पर अस्वीकार कर दिया।

कश्मीर की स्थिति पर भी विचार किया गया था। कश्मीर के राजा हरि सिंह अनिश्चय की स्थित में थे। वस्तुतः वे अपने राज्य को न भारत और न पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे। कश्मीर की अधिसंख्य जनसंख्या मुस्लिम धर्मावलंबी थी और राजा हिन्दू धर्म मानने वाला था। कश्मीर की सीमा आजाद भारत से और पाकिस्तान से मिलती थी। कश्मीर का वह भाग जिसे अब हम पाक ओक्युपाइड कश्मीर कहते हैं वहाँ की अधिसंख्य जनसंख्या मुस्लिम मोटे तौर पर इस्लाम को मानने वाले कबाइली (द्रुइडल) लोगों की थी। पाकिस्तान को, द्वि राष्ट्र सिद्धांत—-टू नेशन थ्योरी—- के अनुसार कश्मीर का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं था किंतु वह सीधे-सीधे कश्मीर की स्वतंत्रता पर आक्रमण कर्ता भी नहीं दिखना चाहता था। इसलिए पाकिस्तान में कबाइलियों को हथियारबंद किया, प्रशिक्षित किया और

पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में कश्मीर घाटी व अन्य भागों में प्रवेश करा दिया। राजा हरि सिंह को अपने अस्तित्व का खतरा सामने दिख गया, तब उन्होंने भारत सरकार से सैन्य मदद की गुहार की। भारत की अंतिम सरकार ने स्पष्ट किया कि बिना भारत में विलय के भारत द्वारा सैन्य मदद दिया जाना कानूनी व व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं होगा, तब जाकर राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए।

इसलिए कश्मीर की आज जो उलझी स्थिति है उसके पहले दो कारण हैं:- पाकिस्तान का कश्मीर पर कबाइलियों की आड़ में छत्र आक्रमण, राजा हरि सिंह का भारत में विलय पर अत्यंत विलंब से लिया निर्णय है। विलंब से लिए निर्णय के कारण सहीयारबंद कबाइली श्रीनगर के अति हमीय तक आ गए जहाँ से भारतीय सेना में उन्हें पीछे धकेलना शुरू किया। उस समय तक राजा हरि सिंह के आधिपत्य वाले कश्मीर राज्य का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। अब एक प्रश्न जो बार बार मीडिया में उठाना जाता है वह है कि भारत में युद्धभिराम क्यों किया और संयुक्त राष्ट्र संघ में क्यों गया? क्यों नहीं, जैसा कुछेक नेता कहते हैं, तीन-चार दिन युद्ध जारी रखकर पूरा कश्मीर स्वतंत्र करवाया???

उस समय की भारत और विश्व की परिस्थितियों को बिना ध्यान में रखे, 60, 70 साल बाद इस प्रकार के प्रश्न करना बड़ा आसान है। भारत को आजाद हुए कुछ ही महीने हुए थे। द्वितीय युद्ध के बाद और फ्रिट्ज शेर की भारत के प्रति अहित कारी आर्थिक नीतियों के कारण शासन के पास खाली राजकोष का था। देश अधिकांश वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर था। सबसे बड़ी बात यह थी कि नव स्वतंत्र भारत की विश्व समुदाय में क्या हैसियत थी? कितने देश, कितने समय तक हमें सैन्य व आर्थिक सहायता दे सकते थे? 1947 के 5.7 साल पहले के और फिर उसके भारत में विलय के बाद के कश्मीर के घटनाक्रमों को समझने के लिए शेख अब्दुल्ला के किर्दार व उनकी भूमिका को भी समझना पड़ेगा। यह निर्विवाद है कि कश्मीर के भारत विलय में शेख अब्दुल्ला की सकारात्मक भूमिका रही था।

विलय पत्र के साथ ही महाराजा हरि सिंह में लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखा था कि वे अंतिम सरकार बनाएँगे जो कबाइली समस्या के कारण उत्पन्न

आपातकाल से निपटने में उनकी सहायता करेगी। शेख अब्दुल्ला को आपातकाल में प्रधानमंत्री की बनाने की बात भी लिखी। इस के बाद, राजा द्वारा आमंत्रण के बाद शेख अब्दुल्ला में 30 अक्टूबर 1947 को अंतिम प्रधानमंत्री का पद संभाला। कश्मीर के भारत में विलय को भारत की सरकार द्वारा स्वीकार करने के पश्चात माउंटबेटन द्वारा पत्र लिखा गया था कि उनकी सरकार के मतानुसार, जहाँ कहीं भी विलय का मुद्दा विवादित हो उसका फैसला लोगों की इच्छा के अनुरूप किया जाना चाहिए। जब भी जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बहाल हो जाएगी, हमलावर बाहर निकाल दिए जाएँगे, तब विलय के प्रश्न पर लोगों की राय ली जाएगी।

शेख अब्दुल्ला पहले जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेता थे किंतु फिर उन्होंने सभी धर्म—जात बालों को इस से जोड़ा और इसका नया नाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा। यह दल जनता के अधिकारों, समस्याओं के लिए राजा के विरुद्ध भी आंदोलन रत था।

भारत की आजादी के संघर्ष से जुड़े बड़े नेताओं के साथ भी संपर्क में रहती थी। 1947 आते-आते शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता हो गए। कबाइली आक्रमण के कारण छिन्न-भिन्न हुई, प्रशासनिक व कानून व्यवस्था का बहल करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका अदा की। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर महाराजा हरि सिंह ने इन्हें अंतिम सरकार गठन करने और प्रधानमंत्री बनाने का आमंत्रण दिया। अंतिम प्रधान मंत्री के बाद शेख अब्दुल्ला 1951 में जम्मू कश्मीर के पहले निर्वाचित प्रधान मंत्री बने। भारत की सरकार तत्समय भी स्वतंत्र देश की विभिन्न आंतरिक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर और विश्व के देशों में नए भारत की एक लोकतांत्रिक, शान्तिप्रिय व सैन्य बल के बजाए वार्ताओं के जरिए विवादों के समाधान के सिद्धांत को समर्पित राष्ट्र की छवि प्रस्तुत करने के लिए यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ले गई और संयुक्त में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवाया।

शेख अब्दुल्ला ने यूएनोकी सुरक्षा परिषद में 5 फरवरी 1948 को भारत का पक्ष रखते हुए कहा था कि कबाइली हमलावरों में हजारों लोगों का नरसंहार किया, उनकी संपत्तियाँ लूटी।हिंदू और सिख थे, मुसलमान भी थे, हजारों लड़कियों का अपहरण किया। मरे गए

लोगों में अधिकांश हिन्दू व सिख थे। मुसलमान भी थे। सैन्य, पुलिस प्रशासन विफल हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हजारों कार्यकर्ताओं में प्रशासन संभाला। लोकन कालांतर में शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार में मतभेद उभरे। भारत सरकार की सूचनाओं के अनुसार शेख विद्रोहियों अर्थात् पाक समर्थित तत्वों से संपर्क बढ़ाने लगे। भारत सरकार नेविद्रोहियों समर्थन देनेके आरोप लगा कर उन्हें जेल में डाल दिया। उस समयविश्व अमरीका और रूस के नेतृत्व में दो अलग-अलग खेमों में बंटा था। 1954 में, अमरीका ने दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की सुरक्षा के लिए एक सैन्य संगठन बनाया जिसका नाम था सीटो। पाकिस्तान को इसमें शामिल किया और अमरीका ने उसे भरपूर सैन्य व आर्थिक मदद दी।

इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र के झंडाबरदार बने शक्तिसंपन्न पश्चिमी देशों को अन्य देशों में तानाशाह व सैन्य शासकों के साथ गल बलहियों करने से कभी कोई परहेज नहीं रही बरगते वे उनके इशारों के अनुसार चलते रहे। भारत के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू में और मिश्र, इंडोनेशिया आदि कई देशों के साथ, इन दिनों सैन्य गुटों से अलग रहा उचित समझ (नॉन अलाइड पॉलिसी)। इस आंदोलन के जरिए नवस्वतंत्र भारत में नुनिया में अपनी अलग प्रजातांत्रिक, किसानसोन्मुख, प्रजातैत्तिरी देश वाली पहचान बनाई। जहाँ बहुत से नवस्वतंत्र देश राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हो रहे थे भारत में लोकतंत्र जड़ें पकड़ रहा था। जरा, पाकिस्तान में इसी अवधि में क्या हो रहा था, इस पर विचार करें। 1947 से 1958 के बीच आन्ध्रवावियों के लिए एक के बाद एक 7 प्रधान मंत्री हुए अर्थात् पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थिर हो रहा था और अंततोगत्वा 1958 में वहाँ की सेना ने शासन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से पाकिस्तान में या तो सैन्य शासन रहा अथवा सामान्यतः सेना के पूर्ण नियंत्रण वाली कमजोर, गुमाश्टी चुनी हुई सरकारें रही। 1958-71, 1977-88, 1999-2008 तक तो सीधे-सीधे सैन्य तानाशाहों का शासन रहा। इन्हीं अवधियों में 1965, 1971, 1998 में पाकिस्तान में भारत पर सैन्य आक्रमण किए। पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध का तो कारण कश्मीर में आंतरिक विवाद, भड़काना और विद्रोहियों को हर तरह से सहायता देना ही था। इसका कोड नाम आपरेशन

जिब्राल्टर रखा गया था।

यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि 1965 आते-आते, इस समस्या के बाबत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जन्मतःसंग्रह वाला प्रस्ताव भी महत्वहीन हो गया था। पाकिस्तान पीओके से हटा नहीं, जो जन्मतःसंग्रह कराने की प्रमुख पूर्व शर्त थी। इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा।

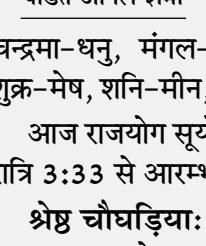
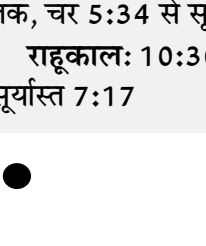
1965 के युद्ध के बाद रूस की पहल पर युद्ध विराम हुआ और फिर 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ जिसकी आजकल खूब चर्चा होती है। भारत की दृष्टि से ताशकंद समझौते की प्रमुख बात यह थी कि—-भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र नियमों का पालन करते हुए, अपने विवादों को शान्तिपूर्ण तरीके से सुलझाएँगे।बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोनों देशों की सेनाएँ 5 अगस्त 1965 की स्थिति पर चली जाएंगी—।

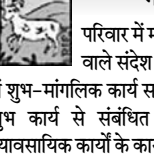
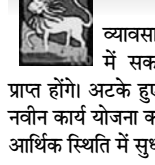
जन्मतःसंग्रह पर यह पूर्ण विराम था।

1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध पूर्णतः पाकिस्तानी सेना द्वारा चुनाव परिणामों को नकारने और बांग्लादेशियों पर अत्याचारों के कारण भारत में लाखों शरणार्थियों के आने और विश्व समुदाय के शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा इन अत्याचारों की अनेदखी का परिणाम था। इन सब अत्याचारों के बावजूद अमरीका, हर प्रकार से, पाकिस्तानी सैन्य शासन समर्थक बना रहा। इस युद्धों की परिणीति 1971 के शिमला समझौते से हुई। इस में दोनों देश पुनः संकल्पबद्ध हुए की—-दोनों देश विभिन्न मुद्दों पर अपने मतभेदों को शान्तिपूर्ण तरीके से सुलझाएँगे व उपमहाद्वीप में शांति व सहयोग के लिए काम करेंगे। लोक कल्याण पर अपनी ऊर्जा लगाएँगे। कश्मीर के संदर्भ में, 17 सितंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को दोनों देशों में नियंत्रण रेखा के रूप में मान्यता दी और इसे अपरिवर्तनीय/बाध्यकारी माना।दोनों देश अपने मतभेदों को द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से शान्तिपूर्ण तरीके से सुलझाएँगे—।

वर्तमान ऑपरेशन साक्षर के संदर्भ में चल रही डिबेट्स में तंशकृत और शिमला समझौते पर कई प्रकार की सही गलत बातें राजनीतिक दलों के लोग करते रहते हैं। इस प्रकार की बातें अधिकारितः तत्समय के तथ्यों व देश तथा वैश्विक परिस्थितियों को बिना ध्यान में रखे, केवल जनता का भ्रमित करने और अपने-अपने समर्थकों को बनाए रखने के लिए की जाती है।

—महावीर सिंह, पूर्व आईएस

राशिफल शुक्रवार 13 जून, 2025	
	आषाढ मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2082, पूर्वाषाढा नक्षत्र रात्रि 11:21 तक, शुक्ल योग दिन 1:48 तक, गर करण दिन 3:19 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।
	ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-धनु, मंगल-सिंह, बुध-मिथुन, गुरु-मिथुन, शुक्र-मेघ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।
	आज राजयोग सूर्योदय से रात्रि 11:21 तक है। भद्रा रात्रि 3:33 से आरम्भ होगी।
	श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:19 तक, लाभ अमृत 7:19 से 10:44 तक, शुभ 12:27 से 2:09 तक, चर 5:34 से सूर्यास्त तक।
	राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:31, सूर्यास्त 7:17

मेघ	सिंह
	
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ कार्य से संबंधित यात्रा संभव है। व्यवसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।	व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनें लगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
वृष	कन्या
	

फर्जी कॉलेज बनाकर फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति उठाने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

छात्रवृत्ति पोर्टल पर फर्जी दस्तावेज अपलोड कर फर्जी छात्रवृत्ति उठाने का कर रहे थे गोरखधंधा

जयपुर। जयपुर ग्रामीण जिले के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार्पनिक रूप से फर्जी कॉलेज बनाकर फर्जी तरीके से लाखों रुपये की छात्रवृत्ति उठाने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

उप महानिरीक्षक पुलिस आनन्द शर्मा ने बताया है कि जयपुर ग्रामीण जिले के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार्पनिक रूप से फर्जी कॉलेज बनाकर फर्जी तरीके से 23 लाख 6400 रुपये की छात्रवृत्ति उठाने वाले गुरुकृपा आईटीआई महाविद्यालय कुचामन जिला नागौर के संचालक श्रवण लाल जाट (32) निवासी जायल जिला नागौर,बलराम गुर्जर (43) निवासी सांगानेर जयपुर हाल प्रोजेक्ट मैनेजर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सहित ई-मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या(27) निवासी गोविंदगढ़ जिला जयपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि



फर्जी तरीके से लाखों रुपये की छात्रवृत्ति उठाने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया।

आरोपित ई-मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या विजय कुमार बोचल्या,छात्रवृत्ति पोर्टल से स्वीकृत करवाने वाले गुरुकृपा आईटीआई महाविद्यालय कुचामन नागौर के संचालक और श्रवण राम जाट व विभाग से छात्रवृत्ति दिलवाने के नाम पर रुपये लेने वाले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजर- डबलपर अनुबंध पर काम

करने वाले बलराम गुर्जर ने मिलकर फर्जी तरीके से कॉलेज बनाकर कूटरचित्त दस्तावेज तैयार कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग छात्रवृत्ति पोर्टल से 23 लाख 6400 रुपये लिए हैं।

इस मामले में आरोपितों द्वारा गबन की गई राशि 23 लाख 6400 रुपये की बरामदगी के प्रयास व शेष आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए

जा रहे है।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ने मामला दर्ज करवाया कि एसएसओ आईडी छात्रवृत्ति प्रणाली आरजे रावटीनस्टिट्यूट, वीवीएवाई कुमार बोचल्या, डॉ. सोनिया नित्यानंद, अक्षय मुलोडिया 4, बजरंग 019 का उपयोग कर एक फर्जी कूटरचित्त दस्तावेजों के आधार पर शिक्षण संस्थान रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनीमेल साइंस राष्ट्रीय राजमार्ग नागोरी जिला अलवर का गठन किया गया है। इनके द्वारा इस शिक्षण संस्थान को विभाग के छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत किया गया व कूट रचित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 23 लाख 6400 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त कर राजकोष को हानि पहुंचाई गई है। मामला दर्ज होने के बाद आरोपित फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक पुलिस टीम का गठन किया और फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अम्बेडकर भवन व अन्य विभागों से दस्तावेज प्राप्त कर आरोपितों को चिन्हित करते हुए घर-दबोचा।

दो बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी की वारदात को ट्रेस आउट करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार उनके कब्जे से चुराई गई तीन एलसीडी व एक एसी जूब्त किया गया है। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जिला जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि विश्वकर्मा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी की वारदात को ट्रेस आउट करते हुए राजशर्मा उर्फ राज शर्मा निवासी अलवर हाल विश्वकर्मा और नवीन चौहान निवासी जयपुर को गिरफ्तार किया गया है।

पृथ्वीराज नगर पुलिस प्रशासन ने संघर्ष समिति को धरने की नहीं दी अनुमति

जयपुर। पृथ्वीराज नगर जन अधिकार संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम जयपुर कलेक्टर को ज्ञापन देकर दो सौ फ्रीट चौराहा अममेर रोड पर रजनी विहार कट को खोलने तथा नया बना होरापूरा बस टर्मिनल शीघ्र प्रारंभ करने के लिए ज्ञापन देकर आंदोलन का आ न किया था कि यदि नो जून तक माँग नहीं मानी गई तो नो जुन को धावास रोड पर निम्बाक तिराहे पर धरना दिया जाएगा जिसकी अनुमति संघर्ष समिति

ने पुलिस प्रशासन से माँगी थी। संघर्ष समिति के संरक्षक अशोक शर्मा और अध्यक्ष एडवोकेट घनश्याम सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने धरना देने की अनुमति संघर्ष समिति को नहीं दी तथा पत्र देकर ये और सूचित किया कि यदि धरना दिया तो क्रान्ती कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने हठधर्मिता दिखाते हुए अनुमति नहीं दी। संघर्ष समिति नियमों के तहत शांति से अपना आंदोलन चलाकर पृथ्वीराज नगर में

मूलभूत सुविधाओं की माँग कर रही है लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन आंदोलन को दबाना चाहते हैं। संघर्ष समिति अब नई रणनीति बनाकर आंदोलन को तेज करेगी। घनश्याम सिंह एडवोकेट ने बताया कि पृथ्वीराज नगर में अधिकतर पार्श्वों से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी भाषण के हैं जो की डबल इंजन नहीं होकर छः इंजन बने हुए हैं लेकिन फिर भी जनता के काम नहीं हो रहे हैं।

स्वस्थ नागरिक ही स्वच्छ और सशक्त राष्ट्र की रख सकता है नींव : मदन राठौड़

जयपुर। नगर निगम जयपुर ग्रेटर की ओर से गुरुवार को विद्याधर नगर स्थित स्मृति वन उद्यान में जयपुर योग महोत्सव 2025” के तहत योग-प्राणायाम किया गया। योग महोत्सव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी शिरकत की और योगासन कर स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान राठौड़ ने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पर्यावरणीय उत्तरदायित्व निभाते हुए पौधारोपण किया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने "पहले खुद स्वस्थ हो, तब शहर को भी स्वच्छ रखें" थीम पर आयोजित योग कार्यक्रम के दौरान आमजन ऊर्जा और प्रेरणा का संचार किया।

राठौड़ ने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही स्वच्छ और सशक्त राष्ट्र की नींव रख सकता है। योग भारतीय संस्कृति की वह अमूल्य धरोहर है, जो हमें संतुलित जीवन की दिशा दिखाती है।

यदि हम प्रतिदिन योग करें और अपने शरीर, मन एवं परिवेश की स्वच्छता को महत्व दें, तो यह न

- तकनीक युग में व्यस्त जीवनशैली के बीच योग को अपनाकर जीवन को बनाएं संतुलित और अनुशासित- मदन राठौड़
- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नगर निगम जयपुर ग्रेटर की ओर से आयोजित योग महोत्सव में की शिरकत, पौधरोपण कर दिया पर्यावरण का संदेश

केवल हमारे जीवन को बल्कि पूरे समाज को भी सशक्त बना सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने योग को केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि "राष्ट्र निर्माण की नींव में एक आध्यात्मिक और सामाजिक साधना" बताया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे तकनीक और व्यस्त जीवनशैली के बीच योग को अपनाकर अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन लाएं।

कार्यक्रम में जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि शहर का प्रत्येक नागरिक अगर स्वस्थ रहेगा तो समाज भी जागरूक और अनुशासित होगा। योग केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना को भी जाग्रत करने का माध्यम है। ग्रेटर जयपुर

नगर निगम द्वारा आयोजित इस आयोजन में महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने भी सहभागिता की और नगरवासियों से आग्रह किया कि योग से आरंभ हो दिन की शुरुआत और स्वच्छता से हो उसकी परिणति – यही जयपुर को सुंदर और सशक्त बनाएगा।

इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जिलाध्यक्ष अमित गोयल, मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर ने पौधारोपण कर पर्यावरण-संरक्षण का संदेश दिया।

इस दौरान वैदिक परंपरा के अनुसार हवन यज्ञ कर वातावरण की शुद्धि की प्रार्थना की। योग प्रशिक्षकों ने सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान और विविध आसनों का सजीव प्रदर्शन कर सभी को अभ्यास कराया।

ट्रायल के बहाने कार ले भागा बदमाश

जयपुर। एयरपोर्ट थाना इलाके में एक युवक ने कार बेचने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन डाला था। कार देखने आया शख्स ट्रायल के बहाने लेकर चलता बना। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। पुलिस के अनुसार गुरु नानकपुरा राजा पार्क निवासी पारस खन्ना ने मामला दर्ज करवाया कि उसने ऑनलाइन कार बेचने के लिए विज्ञापन डाला था। इस पर एक युवक ने कार खरीदने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद आरोपी ने उसे जेएलएन मार्ग पर बुला लिया। इसके बाद कार खुले में देखने के बहाने उसे एयरपोर्ट रोड पर ले आया। यहां पर आरोपी ने कार मालिक को उतार दिया और ट्रायल लेकर आने को कहा। इसके बाद बदमाश कार लेकर फरार हो गया।

जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल सीताराम ने बताया कि घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। लेकिन इसके आधार पर शख्स की पहचान करना मुश्किल है। आरोपी के मोबाइल नंबरों की डिटेिल खोजी जा रही है। फिलहाल बदमाश का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।

गलता तीर्थ मंदिर का हो सौन्दर्यकरण श्रद्धालुओं को मिले बेहतर सुविधाएं

जयपुर । मंदिर ठिकाना गलता जी, जयपुर की प्रबन्ध व्यवस्था, विकास कार्यों एवं श्रद्धालुओं को मंदिर में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में गुरुवार को जिला कलक्टर एवं प्रशासक मंदिर ठिकाना गलता जी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक

- जिला कलक्टर ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य गलता तीर्थ का सौन्दर्यकरण एवं श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने आगामी मानसून के दौरान श्रावण मास में होने वाली कावड़ यात्रा मे किसी प्रकार का हादसा न हो इसको ध्यान में रखते हुए 24 घण्टे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की नियुक्ति करने के निर्देश उप नियन्त्रक नागरिक सुरक्षा विभाग अमित शर्मा को दिए



डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई।

है। उन्होंने आम श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गलता तीर्थ परिसर में सरस पार्कर खोलने के निर्देश सरस डेयरी प्रबन्धक को दिए हैं। उन्होंने परिसर स्थित कुण्डों सहित सम्पूर्ण परिसर की बेहतर साफ सफाई व पार्किंग की व्यवस्था करवाने के निर्देश ए.डी.सी. नगर निगम हैरिटेज सुरेन्द्र सिंह यादव को दिए हैं। इसके साथ-साथ मंदिर परिसर में फल-फूल-माला प्रसाद की बेहतर व्यवस्था के साथ-साथ संविदा पर लगे सभी श्रमिकों को नियमानुसार नियमित रूप से पारिश्रमिक देने के निर्देश देवस्थान विभाग

के सहायक आयुक्त रतनलाल योगी को दिए हैं। जिला कलक्टर ने आगामी मानसून को देखते हुए गलता परिसर स्थित ब्यारा बांध एवं राजा कुण्ड में से मिट्टी खाली करवाकर चारों ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाने के निर्देश पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश वॉलंटियर्स को दिए हैं। उन्होंने मंदिर ठिकाना गलता जी को स्वामित्व की किराये पर चल रही दुकानों के किराये को वर्तमान दरों के अनुसार पुनः निर्धारण करवाने के संबंध में निर्देश देवस्थान व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने गलता जी के समस्त विद्युत एवं

पेयजल कनेक्शनों को मंदिर के नाम ट्रांसफर की कार्यवाही करवाने के निर्देश अतिरिक्त जिला कलक्टर आशीष कुमार को दिए हैं। इस दौरान सहायक आयुक्त द्वितीय देवस्थान विभाग महेंद्र देवतवाल, उप अधीक्षक पुरातत्व विभाग मनोज कुमार द्विवेदी, कनिष्ठ अभियंता नगर निगम जयपुर हैरिटेज कुलदीप शर्मा,एस.ई. जे.डी.ए. महेश गोयल, उपायुक्त आदर्श नगर युगांतर, एस.ई.एन. जे. बी. एन. एल. नागेश अग्रवाल, ए.सी.एफ. एन.बी.पी. देवेन्द्र सिंह राठौड़ सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाये जाने पर की कार्यवाही

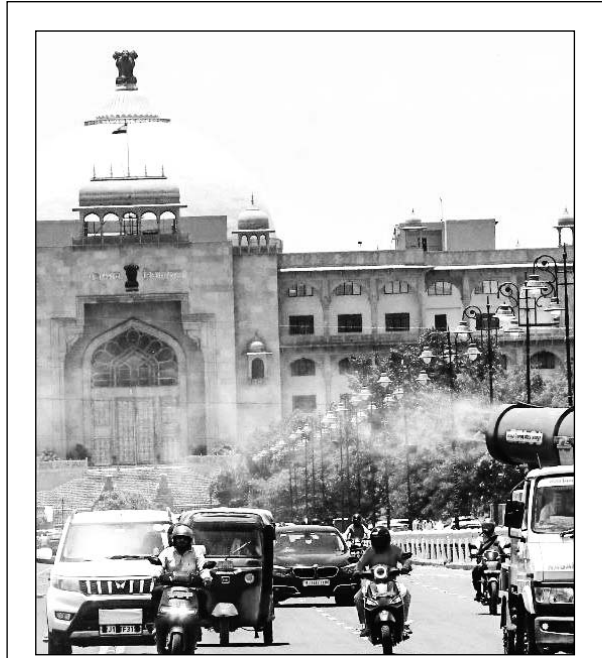
जयपुर। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देशानुसार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया के नेतृत्व में गुरुवार को संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई।

नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा दिये गये नोटिसों के उपरान्त भी आर.एम.ए ट्रेड लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाये जाने पर झोटावाड़ा जोन में संचालित 1 प्रतिष्ठान जिसके अन्तर्गत नियमानुसार 30 दिवस या आर.एम.ए लाईसेंस (अनुज्ञा-पत्र) नवीनीकरण करवाये जाने तक (जो भी पहले हो) तक के लिए बंद किया गया है।

साथ ही मौके पर गंदगी पाये जाने पर 2 प्रतिष्ठानों से 5-5 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूला गया।

- गंदगी पाये जाने पर 2 प्रतिष्ठानों पर 5-5 हजार रुपये का किया कैरिंग चार्ज

मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया ने अपील की कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर सीमा क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठान जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, कैंटिन, मिठाई की दुकान, बैंकरी, कन्फेक्शनरी, नमकीन के कारखाने व मिठाई के कारखाने, आईसक्रीम व आईसक्रीम फैक्ट्री इत्यादि का संचालन आर.एम.एम ट्रेड लाईसेंस प्राप्त करके ही किया जावे अन्यथा नियमानुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी जिसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की स्वयं की होगी।



मानसून की बारिश का इंतजार लेकिन भीषण गर्मी से कैसे बचा जाए इसके लिए जनपथ पर विधानसभा के सामने सड़क पर पानी डाल कर कुछ राहत देने की कोशिश

दो बाइकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत

जयपुर। जयपुर ग्रामीण जिले के कालाडरा थाना क्षेत्र में बुधवार-गुरुवार की मध्यरात्रि में गुवारडी पेट्रोल पंप के पास दो बाइक की आमने-सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया।

थानाधिकारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि युवक की पहचान चौमू के हाड़ोता निवासी विनोद यादव (28) के रूप में हुई है। जो कालाडरा स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। हादसा उस समय हुआ जब वह फैक्ट्री से घर लौट रहा था। स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं युवक का शव चौमू की सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। जहां गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिवारों को सौंप दिया है। पुलिस ने दोनों बाइक जब्त कर मामले की जांच में जुटी है।

पिस्टल की नोक पर बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। मुहाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिस्टल की नोक पर घर में घुस कर बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है और वहीं एक अन्य बदमाश की तलाश की जा रही है। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण दिगंत आनंद ने बताया कि मुहाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 29 मई को पीडित नवीन सैन निवासी इस्कॉन रोड मुहाना के घर पर हाथियार पिस्टल की नोक पर पीडित को बंधक बनाकर नकदी सहित जेवरात लूटने के मामले में तीस वर्षीय आकाश यादव और बीस वर्षीय ईमरान को गिरफ्तार किया है और दोनों ही बदमाश धौलपुर जिले के रहने वाले हैं। वहीं इनका एक साथी धौलपुर निवासी भूरा पंडित उर्फ अर्पित शर्मा अभी फरार चल रहा है। भूरा पंडित उर्फ अर्पित शर्मा के खिलाफ दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामले हैं और वहीं आशक यादव के



मुहाना पुलिस ने लूटपाट करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया।

खिलाफ मारपीट,हत्या,हत्या का प्रयास,लूट और फायरिंग के एक दर्जन मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित आकाश यादव परिवारी का परिचित है और उसे यह मालूम था कि पीडित के घर पर काफी पैसा व सोना चांदी मिलेगा। वहीं आकाश यादव के पिताजी बिमार होने के कारण पैसों की जरूरत थी। जिस पर आकाश यादव ने ही परिवारी का घर व

दुकान की रेकी करवाई थी तथा घटना के समय दूर रहकर सारा मुवमेंट बताता रहा। जिससे घटना कारित करने में आसानी रही। वहीं किसी तरह का रिस्क नहीं रहा। इसके बाद ईमरान व भूरा पंडित उर्फ अर्पित शर्मा घर में घुसकर पीडित को बंधक बना कर पिस्टल की नोक पर नकदी सहित जेवरात लूटने की वारदात को अंजाम दिया और वहीं तीनों धौलपुर चले गए।

लेनदेन को लेकर युवक पर फायरिंग करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। खोह नागोरियान थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 29 मई को दीपक मीना निवासी हिंडौन सिटी जिला करौली हाल इंदिरा गांधी नगर खोह नागोरियान पर लेनदेन को लेकर फायरिंग करने के मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

- अभिषेक मीणा व रोहिताश से घटना में प्रयुक्त एक चोपहिया वाहन सहित एक अवैध देशी कट्टा बरामद भी किया



पुलिस ने लेनदेन को लेकर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व में पुलिस ने अभिषेक मीणा निवासी टोडाभीम जिला करौली हाल रामनगरिया जिला जयपुर और रोहिताश मीणा निवासी टोडाभीम जिला करौली को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपितों को दीपक मीणा के बैंक खाते किराये पर दे रखे थे। उपरोक्त

अग्रज्योति अलंकरण समारोह 15 को

जयपुर । अग्रबंधुओं की राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका अग्रज्योति अपने 22 वे वार्षिकोत्सव अग्र ज्योति अलंकरण समारोह आगामी 15 जून को साम 5 बजे सांगानेरी गेट स्थित अग्रवाल कॉलेज परिसर के अग्रसेन ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर अग्रज्योति अग्रबंधुओं का भामाशाह अलंकरण व लाइफ टाइम अचीवमेन्ट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य संयोजक अरविन्द अग्रवाल ने बताया कि समारोहे देशभर में कहीं भी समाज उपयोगी भवन बनाने में 5 लाख से अधिक का आर्थिक सहयोग दिया हो उन्हें 'अग्रज्योति भामाशाह अलंकरण' से तथा इसके साथ ही जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाजसेवा में समर्पित किया हो उन्हें 'लाइफ टाइम अचीवमेन्ट अवार्ड' से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समारोह के दौरान सर्वोच्च पद 'अग्ररत्न विभूषण' से सत्यनारायण बेरीवाल को तथा 'अग्र विभूषण' से बृजभूषणदास अग्रवाल को भी सम्मानित किया जाएगा। मुख्य समन्वयक डॉ. ओपी गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि कार्यक्रम के अग्रज्योति के अलंकरण विधेशंक का भी अन्तः अंदाज में विमोचन किया जायेगा।

किराये पर दिए जाएंगे अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे गोदाम

जयपुर। विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत राज्य में निर्मित किये जा रहे गोदामों को अब किराये पर दिया जा सकेगा। सहकारिता विभाग द्वारा इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। गोदामों को किराये पर दिए जाने से पैक्स को नियमित आय होगी और उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी।

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने बताया कि ग्राम संचायत स्तर पर भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराने तथा पैक्स को वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में वृहद स्तर पर गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही वित्तीय सहायता से ये गोदाम निर्मित किये जा रहे हैं। गोदामों को किराये पर उपलब्ध कराने के लिए एसओपी में प्राथमिकता क्रम में दो अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं।

राजपाल ने बताया कि प्रथम विकल्प के अनुसार पहली प्राथमिकता में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अन्न भण्डारण/ मिड डे मील/ उचित मूल्य

- पैक्स की होगी नियमित आय, वित्तीय स्थिति होगी सुदृढ़
- सहकारिता विभाग ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया
- नैफेड और एनसीसीएफ ने भी गोदाम किराये पर लेने के लिए किया आश्वस्त

दुकान (अन्न)/ अन्य कृषि उत्पाद/ अन्य वैकल्पिक उत्पाद आदि के लिए गोदाम किराये पर दिया जा सकेगा। द्वितीय प्राथमिकता के अनुसार, यदि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उपभोग आधारित विकेन्द्रीकृत भण्डारण की उपलब्धता के उद्देश्य से गोदाम की मांग की जाती है, तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरी प्राथमिकता में आपतकालीन परिस्थितियों के दौरान खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आवश्यकतानुसार उसे प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार, चौथी प्राथमिकता में यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ब्लॉक स्तर पर आमजन के लिए निर्धारित सामग्री के भण्डारण का निर्णय लिया जाता है, तो भण्डारण हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को प्राथमिकता दी जाएगी।

जबकि, पांचवी प्राथमिकता में गोदाम बाजार दर पर अनुमोदित किराये पर नहीं लिये जाने की संभावना होने पर सरकारी विभाग/ संस्था अथवा सहकारी संस्था द्वारा निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनी/ फर्म/ सदस्य को अनुमोदित किराये पर गोदाम उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि द्वितीय विकल्प की पहली प्राथमिकता में समिति के सदस्य/ सदस्यों को भण्डारण की आवश्यकता होने पर उचित दर पर भण्डारण की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी। द्वितीय प्राथमिकता में समिति के कार्यक्षेत्र के कृषकों को समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारम्भ होने तक लिए उनकी फसल को रखने के लिए गोदाम उपलब्ध कराया जा सकेगा। जबकि, तीसरी प्राथमिकता में सीमेंट, मशीनरी, खाद-बीज के लिए गोदाम किराये पर दिया

जा सकेगा। राजपाल ने बताया कि समिति द्वारा गोदाम किराये पर देने के लिए पूरे वर्ष का एक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। गोदाम किराये पर दिए जाने से पूर्व वार्षिक कैलेंडर, किराया निर्धारण एवं अन्य प्रस्ताव का खण्डिया अतिरिक्त रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। न्यूनतम एक वर्ष एवं अधिकतम तीन वर्ष के लिए पंजीकृत किरायानामा के माध्यम से गोदाम किराये पर दिया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि नैफेड तथा एनसीसीएफ द्वारा भी विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भण्डारण योजना के तहत निर्मित किए जा रहे इन गोदामों को किराये पर लिए जाने के लिए आश्वस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि नैफेड द्वारा श्रीगंगागर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, सीकर, अलवर, जयपुर, राजसमंद, टोंक, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू तथा उदयपुर जिले के 58 गोदामों को किराये पर लेने हेतु आश्वस्त किया गया है। जबकि, एनसीसीएफ की ओर से भी गोदामों को किराये पर लेने हेतु विभाग को पत्र लिखकर आश्वस्त किया गया है।

